

भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5707 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025/ 14 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है

अंतर्देशीय जलमार्गों का विस्तार

5707. श्री लुम्बाराम चौधरी :

डॉ. भोला सिंह :

श्री योगेन्द्र चांदोलिया :

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया :

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा :

श्रीमती कमलेश जांगड़े :

श्री प्रवीण पटेल :

श्री दिलीप शङ्कीया :

श्री आलोक शर्मा :

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) फरवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार, देश में कितने अंतर्देशीय जलमार्ग नौगमन कर रहे हैं;
- (ख) फरवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार, देश में अंतर्देशीय नौगमन जलमार्गों की कुल लम्बाई कितनी है;
- (ग) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित देश में अन्तर्देशीय जलमार्गों के विस्तार हेतु कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) अन्तर्देशीय जलमार्गों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (ङ) अन्तर्देशीय जलमार्गों के विस्तार में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): फरवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार देश में 29 राष्ट्रीय जलमार्ग चालू हैं।

(ख): फरवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार देश में चालू राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) की कुल लंबाई 5131 किमी है।

(ग): पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में अंतर्देशीय जलमार्गों के विस्तार के लिए, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत 111 राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) घोषित किए गए हैं, जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के 20 राष्ट्रीय जलमार्ग शामिल हैं।

(घ): सरकार द्वारा अवसंरचना और नीतिगत उपायों के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्गों के सतत चालू रहने को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं (क) अवसंरचना संबंधी उपाय अर्थात् फेयरवे रखरखाव कार्य (नदी प्रशिक्षण, रखरखाव ड्रेजिंग, चैनल मार्किंग और नियमित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण), सामुदायिक जेट्टी, फ्लोटिंग टर्मिनलों, मल्टी-मॉडल टर्मिनलों (एमएमटी), इंटर-मॉडल टर्मिनलों (आईएमटी) और नौचालन लॉक आदि का निर्माण। (ख) नीतिगत उपाय अर्थात् जलवाहक योजना का शुभारंभ, राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी/टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2015 की अधिसूचना, पत्तनों के साथ एकीकरण, डिजिटलीकरण, कार्गो एकीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा कार्गो को शिफ्ट किया जाना और नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना।

(ङ): नदी में गाद जमना एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा, बाढ़ के मौसम में नदी का प्रवाह वेग अधिक होने और कम पानी के बहाव के समय कम प्रवाह के साथ-साथ जल स्तर में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव के कारण जलमार्ग का विकास और रखरखाव मुश्किल हो जाता है। इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए, जलमार्ग के विकास और रखरखाव के लिए अतिरिक्त ड्रेजर तैनात किए जाते हैं, साथ ही नदी की सफाई व्यवस्था के उपाय किए जाते हैं जैसे कि बैंडलिंग, बॉटम पैनलिंग और जलयानों के सुरक्षित नौकायन के लिए नौचालन सहायता प्रदान की जाती है।
